प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतीस'

प्रश्न सं. [क्र. 222]

[25/6/2018]

परिशिष्ट-एक

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017 भोपाल, दिनांक 13/2/2018

प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषयः-प्रदेश में नये स्कूल खोलने /उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

-0-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006 दिनॉक 25.08.2006 को अधिक्रमित करते हुये मंत्रि परिषद के निर्णय दिनॉक 03 जनवरी 2018 के अनुक्रम मे ग्रामीण क्षेत्रों मे नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड सलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

सलग्न-परिशिष्ट एक

(हस्ताक्षर) 13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-30/20-2/2018 भोपाल, दिनांक 13-2-2018

प्रतिलिपि-

1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

(हस्ताक्षर) 13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-1

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं मे नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि मे विधायक निधि / सासद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रो की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. उन्नत की जाने वाली शाला मे कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि मे विधायक निधि / सासद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप / – किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग का होगा ।

15/8/18

उप सचिव,

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

[illegible] अधिकारी

स्कूल शिक्षा विभाग

शाखा-2